# LALITPUR POLICE

## प्रेस नोट

दिनांक- 30.04.2025

## ललितपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के प्रकरण में प्रभावी पैरवी कर, अभियुक्त को करायी गयी आजीवन कारावास व 20000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा।

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशन में, श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, ललितपुर श्री मो0 मुश्ताक द्वारा जनपद में चिन्हित अभियोगों में अपराधियों को शीघ्र अधिक से अधिक सजा दिलाये जाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में **अभियुक्त पहाड़ सिंह पुत्र कूरे लोधी नि0 ग्राम व थाना सौजना जनपद ललितपुर के विरूद्ध थाना सौजना में मु0अ0सं0 66/23 धारा 376 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ था जिसमें डेडीकेटेड टीम गठित कर वैज्ञानिक व तथ्यपरक साक्ष्यों के आधार पर समयवद्ध व गुणवत्तापूर्ण विवेचना संपादित कर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।**

पुलिस अधीक्षक ललितपुर द्वारा उपरोक्त प्रकरण की निरन्तर प्रभावी पैरवी करवायी गयी जिसमें थाना सौजना पुलिस, कोर्ट पैरोकार व अभियोजन पक्ष के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी करते हुए **दिनांक 30.04.2025 को मा0 न्यायालय ADJ एससी/एसटी एक्ट जनपद ललितपुर द्वारा अभियुक्त पहाड़ सिंह उपरोक्त को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 20000/- रूपये की धनराशि के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।**